दिनांक 11.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 15/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोगों में निरन्तर अनुश्रवण एवं सतत् प्रयास के फलस्वरूप अत्यधिक कम समय में अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से सजा

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोगों में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जोनल/परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय पुलिस अधिकारियों की निरन्तर समीक्षा एवं अनुश्रवण तथा सतत् प्रयास के फलस्वरूप अभियुक्तों को कम समय में मा0 न्यायालय द्वारा सजा व अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया गया।

पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में निर्णित वादों में सजा सम्बन्धी सूचना का विवरण

प्रदेश योग	कुल पॉक्सो एक्ट के वादों की संख्या जिनमें मा0 न्यायालय से फैसला/निस्तारित हुये हैं।	पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत कितने वादों में सजा हुई की संख्या	कितने वादों में मृत्यु दण्ड की सजा हुई की संख्या	कितने वादों में आजीवन कारावास की सजा हुई है की संख्या	कितने वादों में अन्य सजा हुई है, की संख्या
दिनांक 01–01–2019 से 31–08–2019 तक	**1706**	**412**	**0**	**52**	**360**

- उ0प्र0 पुलिस द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं अभियोजन के सत्त प्रयास से पॉक्सो एक्ट के अभियोगों में दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक लगभग 03 हजार अभियोगों में से 2,441 अभियोगों में 60 दिन के अन्दर विवेचना पूर्ण कर मा0 न्यायालय से अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी है।

- इस प्रकार से पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में उ0प्र0 पुलिस द्वारा 82.12 प्रतिशत कार्यवाही करायी गयी है। शेष प्रकरणों में डी0एन0ए0 टेस्ट रिपोर्ट की कार्यवाही प्रचलित है। अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, अपराध एवं तकनीकी सेवायें द्वारा एफएसएल से डीएनए रिपोर्ट मंगाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
- जनपद औरैया के पॉक्सों एक्ट के अभियोग में मात्र 09 दिवस में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 02 लाख रूपये के अर्थदण्ड़ की सजा सुनायी गयी। यह उत्तर प्रदेश के साथ भारत वर्ष की प्रथम घटना होगी, जिसमें पीडिता को इतनी शीघ्रता से न्याय मिला है, जिसमें दिनांक 01.08.2019 को अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 02.08.2019 को अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी। तद्पश्चात साक्ष्य संकलित कर दिनांक 18.08.2019 को अभियोग में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया, जिसे दिनांक 20.08.2019 को मा0न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रत्येक दिवस साक्षी की सुनवाई करते हुए दिनांक 29.08.2019 को अभियुक्त को सजा सुनायी गयी।
- जनपद सम्भल, बुलन्दशहर, शामली, बलिया, मऊ, सुलतानपुर पुलिस द्वारा 15 दिन के अन्दर विवेचना पूर्ण कर मा0 न्यायालय रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।
- जनपद कानपुर नगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में 23 दिन के अन्दर विवेचना पूर्ण अभियुक्त को मा0 न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी।

उत्तर प्रदेश पुलिस

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा महार्षि वाल्मीकि जयन्ती के संबंध में सुरक्षा प्रबन्ध के दिये निर्देश

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को दिनांक 13.10.2019 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर समुचित सुरक्षा/पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैंः–

- महर्षि वाल्मीकि जयन्ती से सम्बन्धित आयोजनो का विवरण प्राप्त करते हुये आयोजकों से सम्पर्क स्थापित कर उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त करें। जुलूस के मार्ग का पहले से ही सर्वेक्षण करा लिया जाय और जुलूस के आयोजकों से वार्ता करके अपेक्षित तैयारिया करते हुये कार्यवाही सुनिशि्चित की जाय।
- त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन स्वयं कर लें, विगत वर्षो में यदि कोई भी विवाद सामने आया हो तो जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उसका त्वरित समाधान कराना सुनिश्चित करें।
- महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर जुलूस के अतिरिक्त जनसभाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। जिन स्थानों पर जनसभाओं या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये, वहॉ पर समुचित पुलिस प्रबन्ध किये जाये ।
- इस अवसर पर आप अपने जनपद की स्थानीय अभिसूचना इकाई तथा नागरिक पुलिस के कर्मचारियों को निर्देशित करें कि लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाये।
- कई जनपदों में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम दिनांक 13–10–2019 तक चलेगा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन एवं वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं का समय व मार्ग एक हो तो आयोजको से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करे।

इस अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं/जुलूसों के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही अपेक्षित हैः

- **जुलूस में सम्मिलित झांकियों का क्रम निश्चित कर लिया जाय।**
- **जुलूसों/शोभायात्राओं के दौरान नीचे लटक रहे बिजली के तारों को ठीक करा लिया जाय ।**
- **विद्यूत आपूर्ति सुनिश्चित करा लिया जाय ।**
- **शोभा यात्राओं/जुलूसों के समय यातायात डायवर्जन स्कीम लागू किया जाय ।**
- **शोभा यात्राओं/जुलूसों अन्य कार्यक्रमों के अवसर पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।**

अतः महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालपन करते हुए समुचित सुरक्षा/पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 11.10.2019 को पुलिस मुख्यालय के आडीटोरियम में अलंकरण वितरण समारोह के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में कर्तव्यरत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को विगत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्राप्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह प्लेटिनम–05, गोल्ड–20 एवं सिल्वर–81 प्रदान किये गये।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अलंकरण समारोह के अवसर पर प्रशंसा चिन्ह पाने वाले सभी पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि यह गौरव की बात है। किसी भी संस्था को उत्तम बने रहने के लिये संस्था में अच्छे कार्य करने वाले सदस्यों को समय–समय पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना चाहिये, जिससे उनकी सेवाओं के स्तर में जैविक वृद्धि के साथ–साथ परिश्रमी कर्मिकों के मन में उत्साह की भावना जागृत होती है। उ0प्र0 पुलिस द्वारा उ0प्र0 शासन को प्रंशसा चिन्हों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिसे उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकार करते प्रंशसा चिन्हों की संख्या बढ़कार 950 कर दी गयी है।

श्री संजय सिंघल अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज, श्री जकी अहमद अपर पुलिस महानिदेशक ए0सी0ओ0 सहित 05 अधिकारी/कर्मचारी को प्लेटिनम कमेण्डेशन डिस्क प्रदान किये गये।

श्री पी0वी0 रामाशास्त्री अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, श्री असीम अरूण अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें/यू0पी0 100, श्री प्रवीण कुमार पुलिस महानिरीक्षक कानून–व्यवस्था सहित 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गोल्ड कमेण्डेशन डिस्क प्रदान किये गये।

अलंकरण वितरण समारोह

अवसर पर स्वीकृत कमेन्डेशन डिस्क का
अलंकरण वितरण समारोह

अलंकरण वितरण समारोह

अवसर पर स्वीकृत कमेण्डेशन डिस्क का
अलंकरण वितरण समारोह

जनपद गाजियाबाद/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 देशी पिस्टल 32 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **चोरी की मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 11.10.2019 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे लाइन मालगोदाम रोड़ पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी आशीष घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी पिस्टल 32 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध दिल्ली एवं जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना कोतवाली के मु0अ0सं0 1302/2018 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. आशीष निवासी रमाला जनपद बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 देशी पिस्टल 32 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस
2. चोरी की मोटरसाइकिल

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर</u>

- **02 शातिर चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 92 हजार 780 रू0 नगद बरामद**

दिनांक 11.10.2019 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खुर्जागेट पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान 02 शातिर चोर 1.कासिफ, 2.समर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 02 लाख 92 हजार 780 रू0 नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.10.2019 को मोहनी साड़ी संसार शोरूम में अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 945/2019 धारा 380/457 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने उक्त चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. कासिफ निवासी मो0चौक बाजार बाटा वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. समर निवासी सराय चौक बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1. चोरी के 02 लाख 92 हजार 780 रू0 नगद

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 11.10.2019 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीटी रोड स्थित शहीद पार्क, ओवर ब्रिज तिराहे से घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी फैजान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. फैजान निवासी उमरायपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जलालपुर

- **10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 11.10.2019 को थाना जलालपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रघुनाथ चौराहा बहद ग्राम उसरहा के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी रणजीत उर्फ रम्सू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जलालपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/2019 धारा 302/201 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रणजीत उर्फ रम्सू निवासी उसरहा डिहवा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

———